न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, जोधपुर (उत्तर)

पीठासीन अधिकारी :– प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
राजस्व विविध प्रकरण संख्याः– 75/2025
जीसीएमएस सं. 2025/174
प्रार्थीगणः–

1. श्रीमती डोली दवे पत्नी श्री धर्मेन्द्र बोहरा, जाति ब्राहम्ण, निवासी गोधन तालाब, चांदपोल तालाब के बाहर, जोधपुर।
2. शोभा कंवर पत्नी श्री स्वरूप सिंह जाति राजपूत, निवासी – बिरानी, जिला जोधपुर।
3. कौशल्या कच्छवाहा पत्नी श्री यशवन्त कच्छवाहा, जाति माली, निवासी सेठ शंकरलाल परिहार हाउस के पास, सुभाश चौक, सूरसागर, जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थीगणः–

1. तहसीलदार (भू अभिलेख), जोधपुर।
2. क्षेत्रीय वन अधिकारी देवकुण्ड वनखण्ड मण्डोर, जोधपुर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट 1956

आदेश दिनांकः– 23/3/26

उपस्थितिः–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री संजय सारस्वत एवं श्रीमती मंजू देवी।
2. अप्रार्थी सं. 1 की ओर क्षेत्रीय वन अधिकारी मण्डोर।
3. अप्रार्थी सं. 2 की ओर से सरकारी पेरोकार।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत पेश किया गया जिसके तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि यह है कि उपरोक्त सभी प्रार्थीगण संख्या 01 से 03 मण्डोर प्रथम जोधपुर के खसरा संख्या 1480/3 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा के बाद खरीद खातेदार है। मण्डोर प्रथम जोधपुर के जिस दिन से यह जमीन खरीद की है उसी दिन से अपने हिस्से पर काबिज है। उपरोक्त सभी प्रार्थीगण कब्जे के अनुसार ही प्रार्थीगण की राजस्व नक्शे में तरमीम हो चुकी है और सभी प्रार्थीगण को अपनी खरीद सुदा जमीन का उपयोग व उपभोग करने का विधिक अधिकार प्राप्त एवं हासिल है। उक्त आराजी पूर्व में प्रार्थीगण संख्या 01 डोली दवे पत्नी श्री धर्मेन्द्र बोहरा जाति ब्राहम्ण निवासी गोरधन तालाब, चांदपोल के बाहर जोधपुर, ने श्री दलपत सिंह खिची के खातेदारी के खसरा संख्या 1480/3 में से जरिये बेचान व जरिये बख्शीश कुल 4 बीघा व 17 बिस्वा खरीद किया। प्रार्थीगण संख्या 02 शोभा कंवर पत्नी श्री स्वरुप सिंह जाति राजपूत निवासीः– ग्राम बिरानी जिला जोधपुर ने श्री दलपत सिंह खिंची की खातेदारी के खसरा संख्या 1480/3 में से 2 बीघा 1 बिस्वा जमीन खरीद किया। प्रार्थीगण संख्या 3 कौशल्या कच्छवाहा पत्नी श्री यशवंत कच्छवाहा जाति माली निवासी सेठ शंकरलाल परिहार हाउस के पास, सुभाष चौक, सुरसागर, जोधपुर ने श्री दलपत सिंह खिंची की खातेदारी संख्या 1480/3 में से 1 बीघा जरिये बख्शीश प्राप्त किया उक्त सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा कर लिया है। उक्त आराजी के लगती हुई वन विभाग की खातेदारी भूमि खसरा नं 1483 रकबा 358.3243 हैक्टेयर आयी हुई है। हमने उपरोक्त आराजी का नाप डीजीपीएस तकनीक से करवाकर हमारे खातेदारी की सीमा कायम करवा ली है तथा हम अपनी मालिकाना भूमि की सीमापर बाउन्ड्री निर्माण का कार्य करवा रहे है। दिनांक 14.05.2025 को क्षेत्रिय वन अधिकारी ने अपने पत्र कमांक एफ/तकनीकी/356, 357 दिनांक 14.05.2025 के द्वारा हमे सूचित किया गया कि आप वन

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

भूमि पर अतिक्रमण कर दीवार निर्माण का कार्य करवा रहे है। आप अपने स्वामित्व सम्बन्धी दस्तावेज लेकर कार्यालय में उपस्थित होवे। जिस पर हम प्रार्थीगण ने तमाम खातेदारी अधिकार, बेचाननामा की फोटोप्रतिया व डीजीपीएस सर्वे की रिपोर्ट जिसमें हमारा वनभूमि में अतिक्रमण ने होकर हमारी खातेदारी खसरा नं 1480/3 की भूमि में रकबा 10.13 बीघा विभाग ने किला रोड़, हेतु भूमि हस्तांतरित कर दी है। नाप रिपोर्ट सलंग्न है। दिनांक 14.05.2025 को ही एक पत्र तहसीलदार जोधपुर को क्षेत्रिय वन अधिकारी मण्डोर ने हमारी खातेदारी भूमि खसरा नं 1480/3 के नाप का निवेदन किया था। दिनांक 29.04.2025 को राजस्व विभाग की टीम हल्का पटवारी मण्डोर प्रथम भू अभिलेख निरीक्षक मण्डोर व वन विभाग के कर्मचारी वनपाल, क्षेत्रिय वन अधिकारी मण्डोर, जोधपुर आदि विवादित स्थल का मौका जांच करने हेतु मौके पर पहुंचे जो क्षेत्रिय वन अधिकारी मण्डोर के पत्र क्रमांक 356, 357 दिनांक 14.05.2025 के अनुपालना हेतु आये थे परन्तु इसकी सूचना हम प्राथीगण को नहीं दी गयी थी तथा सम्पूर्ण कार्यवाही हम प्रार्थीगण की अनुपस्थिति में की गयी। तथा मौका फर्द की दिनांक 29.05.2025 को ही बना दी। मौका फर्द की प्रमाणित नकल हेतु दिनांक 30.05.2025 को आवेदन तहसीलदार जोधपुर को किया था परन्तु हमे उस दिन नकल उपलब्ध नहीं करवायी तथा दिनांक 02.06.2025 सोमवार को नकल उपलब्ध नही करवायी इस दरमियान दिनांक 30.05.2025 को दी हमारी खातेदारी की भूमि पर बनी दीवार को वन विभाग ने अवैधानिक तरीके से तौड़ दी गयी। मौका फर्द दिनांक 29.05.2025 की नकल का अवलोकन करने से साफ जाहिर है कि उक्त मौका फर्द हल्का पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक ने राजस्व नक्शे के किस बिन्दु को आधार मान कर नाप किया व कितने फुट का अतिक्रमण पाया, कुछ भी विवरण नही है। इससे साफ जाहिर है कि सर्वे टीम द्वारा हमारी खातेदारी की भूमि का नाप ही नहीं किया गया है, केवल वन विभाग के कर्मचारियो के कहे अनुसार ही अतिक्रमण बता दिया है। मौका रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि पूर्व कब्जा व खातेदारी के बाहर वन भूमि पर अवैध कब्जा व निर्माण किया हुआ जबकि हमारी खातेदारी की भूमि की सीमा पर तो निर्माण ही अब किया जा रहा था। जिसे अवैधानिक तरीके से तौड़ दिया गया है। इससे साफ जाहिर है कि उक्त मौका फर्द वन विभाग के कर्मचारियों व अज्ञात राजनैतिक दबाव में आकर तैयार की गयी है जो कि अवैधानिक है। अतः प्रार्थीगण का मान्यवर जी से विनम्र निवेदन है कि राजस्व कर्मचारियो द्वारा दी गई मौका रिपोर्ट पर पालना स्थगन आदेश जारी करने की कृपा करावे। साथ ही वन विभाग के खातेदारी के खसरा संख्या 1483 का नाप भू प्रबन्ध विभाग की टीम द्वारा करवा के 1483 की सीमा कायम करने की कृपा करावे और जिसका खर्चा स्वंय वन विभाग भुगतान करे।

प्रार्थना पत्र दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण के नोटिस जारी किए गए एवं तहसीलदार जोधपुर को तहरीर जारी की गई। से जारी किये गये । अप्रार्थी सं. की ओर राज्य सरकार द्वारा पेश किया गया राजपत्र , नवम्बर 5, 1992 में प्रथम अनुसूची (वन –भूमि और बंजर भूमि) वनखण्ड का खसरावार बंदोबस्त विवरण–सन् 1992 पेश किया गया एवं जवाब पेश किया गया जिसके तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण संख्या 01 से 03 ने मण्डोर के खसरा नं0 1480/3 रकबा 8 बीघा 07 बिस्वा खरीद खातेदार हैं, जबकि प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना पत्र में 1480/3 रकबा 08 बीघा 07 बिस्वा दर्शाया हैं लेकिन वास्तव उक्त भूमि किस्म गैर मुमकीन नाड़ी दर्ज हैं। उक्त तथ्य प्रार्थीगण द्वारा भूमि किस्म 7 छुपाया गया है। प्राथीगण ने नकशे जो तरमीम हो चुके हैं बता रहे है जो तरमीम 1480, 1480/3 की है। लेकिन प्रार्थीगण 1483 पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा हैं। खसरा नं0 1483 तहसीलदार जोधपुर के कर्मचारियों द्वारा द्वारा दिनांक 29.05.2025 मौका फर्द व नजरी नक्शा में 1483 में

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

वनभूमि पर अतिक्रमण होने का मौका अवलोकन कर राजस्व रेकर्ड मण्डोर के भू नक्शा एवं जमाबन्दी अभिलेख अनुसार वन भूमि के खसरा नं0 1483 के पास स्थित खसरा नं0 1480 एवं इसके बट्टा नम्बर के खातेदारों की खातेदारी भूमि जो गेर मुमकिन नाड़ी दर्ज होना पाया गया। खसरा 1480 एवं 1480/3 के खातेदारों द्वारा अपनी पूर्व कब्जा एवं खाते की भूमि से बाहर खसरा संख्या 1483 की वनभूमि पर अवैध पक्का निर्माण व कब्जा होना अवगत कराया गया। वास्तव में खसरा नं0 1483 भूमि पर वषो वर्ष वन विभाग काबिज व मालीक हैं। प्रार्थीगणों द्वारा खसरा संख्या 1480/3 किस्म भूमि गैरमुमकिन नाड़ी दर्ज हैं जो नियमानुसार खरीद फरोख्त नहीं हो सकती हैं। नाड़ी नालों पर किसी भी प्रकार को आवसिय व्यापारिक गतिविधियों के संचालन हेतु उपभोग नहीं किया जा सकता है वन विभाग की खातेदारी भूमि खसरा नं. 1483 रकबा 2213 बीघा 12 बीस्वा भूमि रक्षित वनभूमि हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में विचाराधीन डीबी सिविल रिट याचिका संख्या 9740/2021 अनवान रामजी व्यास सर्फ रामाकिशन व्यास बनाम राजस्थान राज्य एवं अन्य के संबंध में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 15.09.2023 की अनुपालना में श्रीमान जिला कलक्टर महोदय जोधपुर द्वारा जारी आदेश 1997 दिनांक 04.10.2023 की पालना में गठित सीमांकन दल द्वारा दिनांक 10.10.2023 को राजस्व अभिलेखों से मिलान करते हुए वनखण्ड देकण्ड का मय जी. पी.एस कोर्डिनेट नक्शा उपलब्ध कराया गया था। वनखण्ड देवकण्ड का रकबा राजस्व विभाग द्वारा उपलब्ध करावाई गई जी.पी.एस. कोर्डिनेट सूची अनुसार वनभूमियां कम होनी पाई गई हैं। वनखण्ड देवकुण्ड के मध्य स्थित चककाश्त (नीजी खातेदारी भूमि) का क्षेत्रफल जमाबंदी की तुलना में अधिक पाया गया हैं। प्रार्थीगणों द्वारा आराजी का नाम डीपीपीएस तकनीक से सीमा कायम अप्रार्थी की अनुउपस्थित में निजि स्तर से की गई तरमीम भूमि अस्वीकार हैं। वर्णित दस्तावेजात में किस्म भूमि गैरमुमकिन नाडी दर्ज हैं जो नियमानुसार खरीद फरोख्त नहीं हो सकती हैं। नाड़ी नालों पर किसी भी प्रकार को आवसिय व्यापारिक गतिविधियों के संचालन हेतु उपभोग नहीं किया जा सकता हैं। वर्णित अनुउपस्थिति अमान्य हैं। दिनांक 29.05.2025 की मौका फर्द समय प्राथीगण के प्रतिनिधि उपस्थित था। सर्वे सीमाकंन अंतर्गत राजस्व विभाग द्वारा तैयारी की गई मौका फर्द पर हस्ताक्षर करने से इंकार किया ।वर्णित दीवार को दिनांक 29.05.2025 मौका फर्द व नजरी नक्शा में 1483 में वनभूमि पर अतिक्रमण होने का मौका अवलोकन कर राजस्व रेकर्ड मण्डोर के भू नक्शा एवं जमाबन्दी अभिलेख अनुसार वन भूमि के खसरा नं0 1483 के पास स्थित खसरा नं0 1480 एवं इसके बट्टा नम्बर के खातेदारों की खातेदारी भूमि जो गेर मुमकिन नाड़ी दर्ज होना पाया गया। खसरा 1480 एवं 1480/3 के खातेदारों द्वारा अपनी पूर्व कब्जा एवं खाते की भूमि से बाहर खसरा संख्या 1483 की वनभूमि पर अवैध पक्का निर्माण व कब्जा होना अवगत कराया जाने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रदत्त आदेशों की अवहेलना होना पाये जाने पर वैधानिक तरीके से वनभूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया। दिनांक 29.05.2025 मौका फर्द व नजरी नक्शा में 1483 में वनभूमि पर अतिक्रमण होने का मौका अवलोकन कर राजस्व रेकर्ड मण्डोर के भू नक्शा एवं जमाबन्दी अभिलेख अनुसार वन भूमि के खसरा नं0 1483 के पास स्थित खसरा नं० 1480 एवं इसके बट्टा नम्बर के खातेदारों की खातेदारी भूमि किस्म गेर मुमकिन नाडी दर्ज होना पाया गया। खसरा 1480 एवं 1480/3 के खातेदारों द्वारा अपनी पर्व कब्जा एवं खाते की भूमि से बाहर खसरा संख्या 1483 की वनभूमि पर अवैध पक्का निर्माण व कब्जा भूमि पर अवैध संरचनाओं को हटाया गया। अतः प्राथीगण का प्रार्थना पत्र का जबाब पेश कर निवेदन हैं कि उक्त राजस्व विविध प्रार्थना पत्र खारीज फरमाया जावे व अन्य कोई उचित आदेश हो तो फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

तहसीलदार जोधपुर से रिपोर्ट प्राप्त हुई। तहसीलदार जोधपुर रिपोर्ट अनुसार अनुसार ग्राम मण्डोर प्रथम के खसरा संख्या 1480/3 रकबा 1.3516 हैक्टे. किस्म गै.मु. नाडी खातेदार डोली दवे पत्नी धर्मेन्द्र बोहरा हिस्सा 56/167 जाति ब्राहाण निवासी गोरधन तालाब चांद पोल के बाहर जोधपुर एवं दलपतसिंह पुत्र दीपसिंह हिस्सा 111/167 जाति राजपूत खींची सा. हाइकोर्ट कॉलोनी जोधपुर खातेदार दर्ज है। पास में वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 1483 स्थित है। ग्राम मण्डोर का भू-बन्दोबस्तका प्रमाणित नक्शा शीट उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान संभव नहीं है। भूमि की किस्म गै. मु. नाडी दर्ज है। उक्त भूमि पहाड़ीनुमा एवं नाडी के रूप में स्थित है। इसके कुछ भाग में पानी भरा हुआ है। जिससे सीमांकन किया जाना संभव नहीं है।

तद्पश्चात् श्रीमान जिला कलक्टर महोदय, जोधपुर पत्र के माध्यम से भू-प्रंबंध विभाग दक्ष कुशल विभाग की टीम का माप एवं सीमांकन हेतु सशुल्क की अनुशंशा सहित भू-प्रंबंध लिखने का निवेदन किया गया।

भू-प्रंबंध विभाग से रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें राजस्व टीम द्वारा ग्राम मण्डोर प्रथम की मूल सर्वे सीट उपलब्ध नहीं होना बताया गया। अतः मूल सीटों की अनुपलब्धता में तहसील कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवायें गये नक्शे से सीमांकन में मौके व नक्शें में अत्यधिक भिन्नता पायी जाने पर सीमांकन कर वास्तविक स्थिति सें अवगत करवाया जाना संभव नहीं है। अतः उक्त मौका नक्शा में खसरा संख्या 1480/1 एवं 1480/3 के अतिरिक्त खसरा संख्या 1480, 1480/2 भी सम्मिलित है चूँकिं उक्त खसरा नम्बरान में मध्य जल भराव होने के कारण किसी भी प्रकार की स्पष्ट भौतिक सीमा नहीं है।

प्रार्थना-पत्र पर प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गयी। बहस के दौरान प्रार्थीगण अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिया कि ग्राम मण्डोर प्रथम तहसील व जिला जोधपुर के खसरा नम्बर वन विभाग के खातेदारी के खसरा संख्या 1483 की सीमा कायम करने की कृपा करावे एवं मौका फर्द को निरस्त किया जावे।

हमने प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र, राजस्व रेकर्ड, तहसीलदार जोधपुर की मौका/सीमांकन रिपोर्ट, भू-प्रंबंध विभाग द्वारा पेश की गई रिपोर्ट, दस्तावेजात् एवं प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र पर की गयी बहस का अध्ययन कर विचार किया गया। प्रार्थीगण संख्या 01 से 03 मण्डोर प्रथम जोधपुर के खसरा संख्या 1480/3 रकबा 8 बीघा 7 बिस्वा खरीद खातेदार है। उक्त आराजी के लगती हुई वन विभाग की खातेदारी भूमि खसरा नं 1483 रकबा 358.3243 हैक्टेयर आयी हुई है। खातेदारी के बाहर वन भूमि पर अवैध कब्जा व निर्माण किया हुआ। वन विभाग द्वारा प्रस्तुत जवाब में भी यह स्पष्ट है कि उक्त आराजी के लगती हुई वन विभाग की खातेदारी भूमि खसरा नं 1483 रकबा 358.3243 हैक्टेयर आयी हुई है जिसमें प्रार्थीगण द्वारा अवैध कब्जा व निर्माण किया जा रहा है। तहसीलदार जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट में भी यह स्पष्ट है कि ग्राम मण्डोर प्रथम के खसरा संख्या 1480/3 रकबा 1.3516 हैक्टे. किस्म गै.मु. नाडी खातेदार डोली दवे पत्नी धर्मेन्द्र बोहरा हिस्सा 56/167 जाति ब्राह्मण निवासी गोरधन तालाब चांद पोल के बाहर जोधपुर एवं दलपतसिंह पुत्र दीपसिंह हिस्सा 111/167 जाति राजपूत खींची सा. हाइकोर्ट कॉलोनी जोधपुर खातेदार दर्ज है। पास में वन विभाग की भूमि खसरा संख्या 1483 स्थित है। ग्राम मण्डोर का भू-बन्दोबस्तका प्रमाणित नक्शा शीट उपलब्ध नहीं होने से प्रार्थी की खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान संभव नहीं है। भूमि की किस्म गै. मु. नाडी दर्ज है। उक्त भूमि पहाड़ीनुमा एवं नाडी के रूप में स्थित है। इसके कुछ भाग में पानी भरा हुआ है। भू- प्रंबंध विभाग से प्राप्त रिपोर्ट में भी यह स्पश्ट है कि मूल सीटों की अनुपलब्धता में

उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner

तहसील कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवायें गये नक्शे से सीमांकन में मौके व नक्शें में अत्यधिक भिन्नता पायी जाने पर सीमांकन कर वास्तविक स्थिति से अवगत करवाया जाना संभव नहीं है।

अतः उक्त मौका नक्शा में खसरा संख्या 1480/1 एवं 1480/3 के अतिरिक्त खसरा संख्या 1480, 1480/2 भी सम्मिलित है चूँकिं उक्त खसरा नम्बरान में मध्य जल भराव होने के कारण किसी भी प्रकार की भौतिक स्थिति स्पष्ट नहीं हो रही है।

तहसीलदार जोधपुर से प्राप्त मौका फर्द दिनांक 30.05.2025, 29.05.2025 एवं भू–प्रबंध विभाग से प्राप्त रिपोर्ट दिनांक 31.12.2025 तलब की जा चुकी है जिन समस्त रिपोर्ट अनुसार खसरा नं. 1480/1, 1480/3, 1480, 1480/2 एवं 1483 इनके नक्शे उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में विवादित खरान् की विधिवत् रूप से सीमांकन किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थीगण द्वारा खसरा नं. 1483 के नाप एवं सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया जबकी विधिनुसार खातेदारान् को स्वयं की खातेदारी की कृषि भूमि के नाम एवं सीमांकन करवाने का अधिकारी है। ऐसी स्थिति में प्रथमतः प्रमाणित नक्शा उपलब्ध नहीं होने एवं प्रार्थीगण को मौजूदा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए अन्य खसरे की भूमि का नाप एवं सीमांकन करवाने का अधिकार नहीं होने के कारण प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र विधिनुसार पोषणीय नहीं होने के कारण अस्वीकार योग्य है।

अतः सीमांकन किया जाना संभव नहीं तो जाहिर है कि पत्थरगढी भी किया जाना संभव नहीं है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अतंर्गत धारा 111, 128 भू–राजस्व अधिनियम खारिज किया जाता है।

प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

आदेश आज दिनांक 23/3/26 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

प्रीतम कुमार (आई.ए.एस.)
सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी
जोधपुर (उत्तर)

Scanned with OKEN Scanner